शाहजहांपुर पुलिस

112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट- थाना रोजा दिनांक:29.09.2024

थाना रोजा पुलिस ने 02 विद्युत तार चोरों को मय 02 कुन्टल चोरी के विद्युत तार व तार काटने के उपकरण व एक अदद नाजायज तमन्चा सहित किया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर महोदय के निर्देशनुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अपराध रोकधाम व गिरफ्तारी वाँछित अभियुक्त के क्रम में श्रीमान प्रभारी निरीक्षक रोजा के नेतृत्व मे थाना रोजा पुलिस को बडी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 10-09-2024 को श्री संजीव कुमार अवर अभियन्ता 33/11 Kv विधुत उपकेन्द्र अटसलिया की लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 563/24 धारा 303(2) बी.एन.एस थाना स्थानीय पर बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ। उक्त चोरी के अनावरण के क्रम मे आज दिनांक 28.09.2024 को मुखबिर खास की सूचना पर सल्लिया मोड़ पर बन्द पड़े भट्टे के पास से दो व्यक्तियों को पकड़ते हुए नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो पकड़े पहले व्यक्ति ने अपना नाम सत्यपाल पुत्र आशाराम निवासी ग्राम मऊ बासक थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 35 वर्ष बताया जिसकी जामा तलाशी से पहनी पैन्ट की बांयी फैंट से एक अदद तमंचा 315 बोर नाजायज बरामद हुआ तथा पहनी पैन्ट की दाहिनी जेब से 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम शेरपाल पुत्र नन्हेलाल निवासी ग्राम मऊ बासक थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 24 वर्ष बताया जिसकी जामा तलाशी से पकड़े दाहिने हाथ मे एक प्लास्टिक का बोरा बरामद हुआ जिसमे एक तार काटने का कटर और विधुत पोल पर चढ़ने वाली लोहे के फ्रेम मे कसी हुई प्लास्टिक की चप्पल एंव एक रस्सा बरामद हुआ।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. सत्यपाल पुत्र आशाराम निवासी ग्राम मऊ बासक थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 35 वर्ष
2. शेरपाल पुत्र नन्हेलाल निवासी ग्राम मऊ बासक थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 24 वर्ष

वांछित अभियुक्तः-

1. धनपाल पुत्र जानकी प्रसाद निवासी निवासी ग्राम मऊ बासक थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर

पंजीकृत अभियोगः –

1. मु0अ0सं0 600/24 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर
2. मु0अ0स0 563/24 धारा 303(2) व 317(2) BNS

बरामदगी का विवरण –

1. 33KV विधुत एल्युमिनियम स्टील तार
2. काटने व पोल पर चढ़ने के उपकरण
3. एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर
4. एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

पूछताछ विवरण:-

पूछताछ करने पर दोनो व्यक्तियो ने बताया कि साहब हम तीन लोग मिलकर बन्द पड़ी 33KV की लाइन से तार काट कर चोरी करते है तथा चोरी किये हुए तारो की छोटे छोटे बण्डल बनाकर फेरी करने वालो को बेच देते है सत्यपाल ने बताया कि मै पहले विधुत विभाग मे संविदा पर काम करता था इसलिये मुझे पैहना विधुत उपकेन्द्र से चक भिटारा जाने वाली 33KV की लाइन के बन्द होने की जानकारी थी जिसकी जानकारी मैने अपने साथी शेरपाल और धनपाल को दी और हम तीनो मिलकर लालचवश उस लाइन से विधुत तार काटकर चोरी करके बेच देते है जिसमे से केवल करीब 02 कुन्तल विधुत तार बचा है साहब गलती हो गयी मांफ कर दो ।

अपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तगण :-

अभियुक्त सत्यपाल -मु0अ0सं0 329/19 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना सदर बाजार

गिरफ्तारी टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक रोजा श्री राजीव कुमार
2. उ0नि0 वेदपाल सिंह पुन्डीर
3. उ0नि0 राजेश कुमार
4. हे0का0 हरनाम सिंह
5. का0 विशाल अष्टवाल
6. का0 अरुण तोमर
7. का0 राजेश कुमार